

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला-जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री हवाई सिंह यादव, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 2021/85

—: प्रार्थी :- बनाम —: अप्रार्थी :-  
बाबूलाल पुत्र जवरीलाल जाति मेघवाल तहसीलदार भोपालगढ़  
निवासी हिंगोली तहसील भोपालगढ़  
जिला जोधपुर

राजस्व प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

—: निर्णय :-

दिनांक:-05/01/2022

प्रार्थी बाबूलाल द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि डीआईएलआरएमपी के तहत ग्राम हिंगोली के खाता संख्या 190 जिसके खसरा नं. 667 रकबा 0.9065 हैक्टेयर, खाता संख्या 77 जिसके खसरा नं. 667/1 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खाता संख्या 201 जिसके खसरा नं. 667/2 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खाता संख्या 236 जिसके खसरा नं. 667/3 रकबा 0.5747 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम की तरमीम हल्का पटवारी द्वारा गलत दर्ज कर दी गयी है, साथ ही प्रार्थी द्वारा गलत तरमीम व प्रस्तावित सही तरमीम का नजरी नक्शा पेश कर सही स्थिति अनुसार तरमीम शुद्ध करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार भोपालगढ़ से प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में जवाब प्राप्त किया गया। तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र में संलग्न पटवारी पटवार मण्डल हिंगोली एवं भू अभिलेख निरीक्षक पालड़ी राणावतां की रिपोर्ट के आधार पर एवं राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार खसरा नक्शा भूमि में तरमीम दुरुस्ती की अनुशंसा की गयी।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय दस्तावेज तथा तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र मय दस्तावेज का अवलोकन किया। तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा की गयी तरमीम दुरुस्ती की अनुशंसा के आधार पर तरमीम शुद्ध किये जाने का आदेश देना हम उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है तथा पटवारी पटवार मण्डल हिंगोली एवं भू अभिलेख निरीक्षक पालड़ी राणावतां की रिपोर्ट एवं तहसीलदार भोपालगढ़ की अनुशंसा के आधार पर एवं राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार तहसीलदार भोपालगढ़ को खसरा नक्शा भूमि में तरमीम दुरुस्ती करने के आदेश दिये जाते हैं। पटवारी पटवार मण्डल हिंगोली, भू अभिलेख निरीक्षक पालड़ी राणावतां की रिपोर्ट एवं तहसीलदार भोपालगढ़ का जवाब प्रार्थनापत्र निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/01/2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



*हवाई सिंह*  
5/1/22

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
भोपालगढ़ (जोधपुर)  
जिला-जोधपुर (राज.)

*हवाई सिंह*  
5/1/22

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
भोपालगढ़ (जोधपुर)  
जिला-जोधपुर (राज.)